A 5/1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस

नामान्तरकरण अपील संख्या :– 08/13

अपीलान्टगण

1. जतीदेवी पुत्री रावताजी जाति राजपुरोहित निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. वशनलाल पुत्र रावताजी जाति राजपुरोहित
2. शैतानसिंह पुत्र रावताजी जाति राजपुरोहित
3. नरपतसिंह पुत्र रावताजी जाति राजपुरोहित
4. जोगसिंह पुत्र रावताजी जाति राजपुरोहित
   निवासीयान रमणिया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
5. भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
6. सचिव ग्राम पंचायत रमणिया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

अपील बरखिलाफ नामान्तरणकरण संख्या 542 सन 1987 अर्न्तगत धारा 72 RLR Act. 1956

उपस्थित :–

1. **श्री उम्मेदसिंह चम्पावत अधिवक्ता अपीलान्ट**
2. **श्री लाधाराम पंवार अधिवक्ता अपीलाण्ट**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 05/11/14

प्रस्तुत अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट जतीदेवी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 सगे भाई बहिन हैं एवं स्व0 रावताजी के पुत्री–पुत्रगण है। रावताजी के खातेदारी के खेत सरहद मौजा रमणिया में स्थित खसरा नम्बर 899, 900, 907, 930, 931, 932, 955, 935, 936, 937, 938, 956, 957, 958, 964, 966, 967, 123, 707 कुल 19 खसरे व रकवा 149 बीघा 19 विस्वा है। उक्त भूमि रावताजी के देहान्त के बाद जरिये फौतगी नामान्तरकरण के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 सहित अपीलान्ट के नाम बतौर उत्तराधिकारी दर्ज होनी थी किन्तु रेस्पोडेन्ट तथा राजस्व कर्मचारियों ने मिलावट कर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण ही नहीं खोला तथा मनमर्जी से कानून का उल्लंघन कर इसे स्वीकृत कर अभिलेख बदलकर अपीलान्ट के साथ घोर अन्याय किया। उक्त फौतगी नामान्तरकरण संख्या 542 पटवारी रमणिया द्वारा दिनांक 03.03.87 को खोला गया। सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक ने वारिसान की कोई जांच नहीं की और सरपंच रमणिया द्वारा बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के ही स्वीकृत शब्द लिखकर ग्राम पंचायत की सील मोहर

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

अंकित करदी। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण न तो ग्राम पंचायत में पेश हुआ और न ही इस हेतु कोई प्रस्ताव ही पारित हुआ। अपीलान्ट का जन्म से ही हक व अधिकार था जिससे नामान्तरकरण स्वतः ही अपास्त योग्य है। विधि विरूद्ध अभिलेख के सम्बन्ध में मयाद अवधी किसी भी रूप में लागू नहीं होती फिर भी अगर कोई देरी हुई है तो माफी हेतु अलग से प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र संलग्न हैं। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरणकरण का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 25.06.2013 को नकल लेने पर हुआ। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 542 सन 1987 को खारिज कर अपीलान्ट के हक में हक हिस्से के मुताबिक भूमि अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अपील दिनांक 21.08.2013 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्टगण के सूचनोपरान्त अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन किया।

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 542 ग्राम रमणिया के अवलोकन पर जाहिर है कि कुल 19 खसरों की 149 बीघा 19 विस्वा भमि में रावता के नाम बतौर खातेदारी दर्ज थी। सम्बन्धित पटवारी ने दिनांक 03.03.87 को नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज कर टिप्पणी अंकित की कि रावताजी को फौत हुए करीब चार माह हुए हैं। उनके जाईन्दा वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते उचित आदेशार्थ पेश है। भू–अभिलेख निरीक्षक राखी ने दिनांक 28.03.87 को इसकी जांच की एवं सम्बन्धित सरपंच ने स्वीकृत करने के आदेश दिये हैं, जिसकी तिथि अंकित नहीं है। स्वीकृति से पूर्व सभी उत्तराधिकारियों की जांच की जाना उन्हें सुनवाई का अवसर देने अथवा नोटिस दिये जाने का भी कोई उल्लेख नहीं है। अपीलान्ट जतीदेवी रावताजी की पुत्री है तथा प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होते हुये नामान्तरकरण केवल पुत्रों के नाम ही दर्ज किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। इस हेतु प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 432 सज्जनकंवर बनाम उच्छवकंवर RRT 2011 (1), एवं 850 RRT 2012 (2) मोहनलाल बनाम कृष्णा में माननीय राजस्व मण्डल का यही अभिमत है। RRT (1) 257 शियोबाई बनाम शिंभु में माननीय राजस्व मण्डल ने यह प्रतिपादित किया है कि नामान्तरकरण सभी उत्तराधिकारयों को बिना सुने पारित किया गया है, ऐसा आदेश शून्य है तथा जहां कोई आदेश Void ab entio हो, वहां उसे किसी भी

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

A 5/3

समय चुनोती दी जा सकती है। प्रस्तुत मामले में भी अपीलाधीन नामान्तरकरण केवल पुत्रों के नाम तथा मृतक की पुत्री प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होते हुये बिना सुने ही पारित किया गया है अतः ऐसा आदेश Void ab entio ही माना जाना न्यायोचित है एवं समय सीमा की कोई बाधा होना भी प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों से जाहिर नहीं है। अतः अपील अन्दर म्याद शुमार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर ग्राम रमणिया के नामान्तरकरण संख्या 542 पर ग्राम पंचायत के अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाता है तथा खातेदार रावता की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण उसके चारों पुत्रों वशनलाल, शैतानसिंह, नरपतसिंह, जोगसिंह एवं पुत्री जतीदेवी के नाम दर्ज तथा स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अभिलेख में इसी प्रकार प्रविष्टियां की जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना, पटवारी तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत निर्देशित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(गोमती शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

निर्णय आज दिनांक 05/11/14 को सुनाया गया।

(गोमती शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना